

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

बदायूँ

पत्रांक-श- / सी.एफ.ओ. / (नवीनीकरण)बदायूँ-2013

दिनांक जनवरी, 2016

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक

रफिया कालेज ऑफ एजुकेशन

सहसवान (बदायूँ)

विषय:- रफिया कालेज ऑफ एजुकेशन सहसवान (बदायूँ) का अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया रफिया कालेज ऑफ एजुकेशन सहसवान (बदायूँ) का इस कार्यालय के पत्रांक श-29/सी.एफ.ओ./बदायूँ 2013 दिनांक 26.11.2013 के द्वारा अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है विषयगत विद्यालय की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण/परीक्षण प्रभारी फायर स्टेशन सहसवान द्वारा सुसंगत मार्ग के अनुसार कराया गया जिसका विवरण निम्नवत है

भवन की संरचना:-

1. कुल प्लॉट एरिया - 3927.00 वर्गमीटर।
2. भूतल कवर्ड एरिया - 777.00 वर्गमीटर।
3. प्रथम तल कवर्ड एरिया-566.00 वर्गमीटर।
- 4-भवन की उचाई-6.5 मी0
- 5-मुख्य द्वार की चौड़ाई-4.5मी0

भवन का अधिभोग एवं श्रेणी एन0वी0सी0 का शैक्षणिक श्रेणी अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचागत व्यवस्थायें:-

1. पहुँच मार्ग-प्रश्नगत कालेज 12 मीटर चौड़े बदायूँ से सहसवान रोड़ पर स्थित है।
2. सैटबैंक -मानक के अनुरूप उपलब्ध है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था

- 1.-04अदद प्राथमिक उपकरण ए0बी0सी0 टाइप आई0एस0-2190 के अनुरूप कार्यशील दशा में उचित स्थानों पर स्थापित पायें गये।
- 2-अग्निशमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धको द्वारा नियमानुसार कराया गया है।
- 3-अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण प्रतिवर्ष नियमानुसार कराया गया है।

उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर रफिया कालेज ऑफ एजुकेशन सहसवान (बदायूँ) को अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है।

1-प्रश्नगत भवन में स्थापित अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मेन्टीनेंस शैडयूल बनाये जाये।

2-प्रस्तावित भवन निर्माण के उपरान्त अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से निरीक्षण करा कर अग्निशमन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

3-संस्थान में प्रत्येक 06 माह में एक बार भवन में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/फायरड्रिल करायी जाय तथा इमरजेंसी इवेकुएशन प्लान बनाया जाये जिसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान करायी जायें।

4-संस्थान के प्रवेश/निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखें जायें।

5-प्रत्येक वर्ष अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण /परीक्षण कराकर अग्नि शमन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

अतः प्रश्नगत विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व स्वामी/प्रबन्धक का होगा। अन्यथा निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(आर के वाजपेयी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
बदायूँ